महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड ,बीकानेर राजस्थान

क्रमांक :प.04 ( )/मगसविबी/सा.प्र./विविध निविदा /2021-22/ 14166 दिनांक : 12/10/21

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में निम्न सामग्री/सेवा की आपूर्ति हेतु दर संविदा के लिए सक्षम पंजीकृत फर्मों से एकल बिड सिस्टम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है:

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क रू
1.	स्टेशनरी आपूर्ति निविदा	8.00	16000/— या Bid Securing Declaration	400/—
2.	विविध सामग्री निविदा	3.00	6000/— या Bid Securing Declaration	400/—

नोट :

1. बिना धरोहर राशि या Bid Securing Declaration, निविदा शुल्क, सशर्त, अपूर्ण एवं डाक द्वारा प्राप्त निविदाएँ व पूर्ण निविदा शर्तों की पालना न करने पर निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
2. उक्त कार्यों के लिए अलग अलग मोहरबंद निविदाएँ पृथक-पृथक लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित दिनांक 22.10.2021 को मध्यान्ह 01:00 बजे तक कुलसचिव कक्ष में जमा की जायेंगी एवं दिनांक 23.10.2021 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेंगी। धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क विश्वविद्यालय के बैंक खाते में भी NEFT या अन्य किसी माध्यम से जमा करवाकर साक्ष्य निविदा के साथ संलग्न किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:—
   - A. बैंक का नाम व शाखा:— पंजाब नेशनल बैंक, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर
   - B. बैंक खाता संख्या:— 4142011800000014
   - C. बैंक IFS Code:- PUNB0472000
3. निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgsubikaner.ac.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

विविद्य सामग्री आपूर्ति दर संविदा

निविदा–पत्र

विविद्य सामग्री आपूर्ति दर संविदा			
निविदा कमांक–		निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	दिनांक : 22/10/2021 मध्यान्ह 02:00 बजे तक
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	रू. 03.00 लाख रू. 6000 अथवा Form of Bid Securing Declaration रू. 400/–	निविदा खोलने की तिथि	दिनांक : 23/10/2021 मध्यान्ह 03:00 बजे 11:

1. ....(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम...
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या...(प्रति संलग्न है।)
4. किनको सम्बोधित किया गया...
5. संदर्भ...
6. निविदा शुल्क की राशि ....नकद रसीद.......................एवं दिनांक....................................द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या...के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
7. हम.......................................द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ...... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
8. सलग्न प्रपत्र में वर्णित दरें एफ ओ आर महाराजा गंगासिंह विश्वविध्यालय ,बीकानेर की हैं जो समस्त कर एवं GST सहित अंकित की जा रही हैं । अनुमोदित दर के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई चार्ज या शुल्क देय नहीं होगा ।
9. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश से आदेशित की गयी अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जायेगी ।

Scanned with CamScanner

10. उपर उद्वत की गई दरें एक वर्श तक की अवधि के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

11. बैंक ड्राफ्ट /बैंक चैक संख्या.......................जो आहरित किया गया है दिनांक ....रूपये..................................के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।

12. निविदा पत्र के साथ नवीनतम बिक्री कर चुकता पत्र/**जी एस टी प्रमाण** संलग्न है।

13. सभी सामग्रियों के नमूने तय अवधि (तकनीकी बिड जमा करवाने) तक सामान्य प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करने अनिवार्य करने होगें । नमूने के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । जिन सामग्रीयों के नमूने स्वीकार होगें संबंधित फर्मो के स्वीकार्य नमूने की दरें वितिय तुलनात्मक तौर पर विचारनिय होगी ।

14. पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।(यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)

15. निविदा में भाग लेने वाली फर्म के पास गत तीन वर्षो में औसतन प्रत्येक वर्ष 3 लाख का टर्न ऑवर सीए से अंकेक्षित होना अनिवार्य है । अंकेक्षित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा स्वीकार्य नही होगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with CamScanner

विविध सामग्री आपूर्ति की शर्तें

टिप्पणी: निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ लें और अपनी निविदाएं भेजते समय इन का कठोरता से पालन करें ।

1. निविदादाता द्वारा निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से एक बड़े लिफाफे में (दोनो मुहरबंद लिफाफों सहित) मोहरबंद निर्धारित समयावधि में कुलसचिव कक्ष में प्रस्तुत की जानी चाहिए । प्रथम सीलबंद लिफाफे में निविदा शर्तानुसार तकनीकी बिड प्रपत्र भरते हुए, निविदा के अनुरूप तकनीकी पात्रता हेतु समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में **"विश्वविद्यालय में विविध सामग्री आपूर्ति** हेतु प्रस्तुत-तकनीकी बिड" अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी । दूसरे सीलबंद लिफाफे में निविदा शर्तानुसार वित्तीय बिड प्रपत्र भरते हुए, निविदा के अनुरूप वित्तीय पात्रता हेतु लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में **"विश्वविद्यालय में विविध सामग्री आपूर्ति हेतु** प्रस्तुत-वित्तीय बिड" अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी । दोनों लिफाफों को निविदादाता द्वारा डबल बिड सिस्टम के अंतर्गत उचित रूप से एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट अक्षरों में **विश्वविद्यालय में विविध सामग्री आपूर्ति** निविदा अंकित हो ,प्रस्तुत करनी होगी तब ही स्वीकार की जायेगी । तकनीकी रूप से पात्र पायी गयी फर्म की ही वित्तीय बिड खोलीं जायेगी ।

2. (अ) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना निविदादाता द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुनर्वती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा। (ब) ठेकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेंगे। जब तक कि वह / वे समस्त नियमों और शर्तो का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें अभिस्वीकृति हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

3. निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे तथा टंकित होंगे । पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
4. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। गलतियों तथा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए एंव उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाये । दरें समस्त कर सहित अंकित करें।
5. वर्णित की गई समस्त दरों पर परिवहन निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रिय राजस्थान बिक्री कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए, जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना चाहिए । स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार प्रदत्त नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।

   अ. दरों की तुलना राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मो द्वारा नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है, निविदत दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर को घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रिय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।

   ब. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।

6. विधिमान्यताः— निविदाएं खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी ।

Scanned with CamScanner

7. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले माल के संबंध में समस्त शोधन शर्तों विनिर्देश आकार, मेक और ड्राईंग्स आदि का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लिया है।

8. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पटे पर नहीं देगा।

9. विनिर्देश:–

i. प्रदाय की गयी समस्त वस्तुएं निविदा प्रारूप मे अभिकथित, विनिर्देश टेडमार्क के अनुरूप होगी तथा जो वस्तुएं आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी । उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए ।

ii. वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी । प्रदाय सर्वोतम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।

iii. वारंटी/गारंटी:– निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख से एक वर्ष माल की कालावधि हेतु माल/भण्डार/वस्तुएं निविर्दिश्ट किए गए के अनुंसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण /तथा अनुमोदन कर लिया है यदि उपर्युक्त एक वर्ष की कालावधि और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस संबंध मे क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया गया है। अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी स्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपबंध लागू होगें । निविदादाता, यदि उसे करने का कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें समाविष्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो । इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविश्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

iv. प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक ही उत्तरदायी होगा।

10. निरीक्षण:–

i. निविदाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डिलरों के मामलें में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ठ हुए है उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।

11. प्रत्येक नमूनों को उपर्युक्त रूप से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिखकर या पर्चों पर लिखकर टिकाउ कागज पर लिखकर नमूनें पर सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा। उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होंगे ।

12. अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात् छः मास की कालावधि तक निःशुल्क रखे जायेंगे । विश्वविद्यालय इन नमूनो के रखे जाने की कालावधि के दौरान किसी नुकसान टूट–फूट या जो निरीक्षण के दौरान हुयी किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। कालावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापिस ले लिए जाएंगे । विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से नमूनों को लौटाने हेतु प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। असफल निविदादाता के रूप में फर्मो से प्राप्त नमूने निविदा प्रकिया की समाप्ति के 1 माह के भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि हेतु कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13. अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे । विश्वविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जांच परीक्षण किए जाने के संबंध में होने वाले किसी नुकसान टूट–फूट या हानि हेतु उत्तरदायी नही होगा। 13 नंबर शर्त के अनुसार वापस न लिए गए नमूनों का समपहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध मे कोई दावा स्वीकार नही किया जाएगा ।

14. यह प्रदाय प्राप्त हो तो वे यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यधीन होंगे कि वे विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जब आवश्यक हो या विहित हो या व्यवहार्थ हो तो परीक्षण इसी प्रकार के संस्थानों में प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों से परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो

Scanned with CamScanner

15. अस्वीकृत किया जाना:'–

निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाताओं अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अशर्त साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी ।

16. निविदादाता इस बात हेतु उत्तरदायी होगा कि वह समुचित पैंकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गतव्य पर प्रेषित को अच्छी दशा में सामग्री की सुपुर्दगी हो सके । किसी हानि नुकसान टूट–फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेषित द्वारा सामग्री के किए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।

17. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।

18. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि को ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।

19. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगीं उसकी दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी उक्तानुसार स्वीकृत दरों पर वर्षभर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सामग्री की सप्लाई करनी होगी

   i. नियमानुसार निविदा में उल्लेखित मात्रा/समय की 50 प्रतिशत सीमा तक आपसी सहमति से पुनरादेश जारी किया जा सकता हैं। पुनरादेश में निविदा में उल्लेखित समस्त शर्तें व दरें यथावत रहेगी।

   ii. यदि क्रय अधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी सामग्री का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

20. (अ) करार तथा प्रतिभूति निक्षेपः–

   i. सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई है उनके मूल्य के प्रतिभूति के रूप में 2.5 प्रतिशत राशि की एफडीआर/बैंक गारंटी इत्यादि जमा करानी होगी ।

   ii. यदि निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा । प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी ।

   iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

   iv. प्रतिभूति राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक द्वारा विश्वविद्यालय मे जमा कराई जावेगी । प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरूद्ध कोई देयता बकाया नहीं होने पर लौटाई जायेगी ।

(ब)

   i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निर्देशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के .50 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी ।

   ii. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे ।

   iii. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण–प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा।

      (क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।

      (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।

      (ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के माल मे उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

Scanned with CamScanner

iv. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

21. अ. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर भुगतान नियमानुसार कर दिया जायेगा।

ब. उस माल के प्रकरण मं संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएगा परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप पाए जाएं ।

22. शर्ते :–

i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिश्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा।

ii. निर्धारित नुकसान–निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी ।

iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 2.5 प्रतिशत

(ख) विहित कालावधि के एक चौथाइ से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत

(ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत

iv. प्रदाय मे विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो ।

v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की रकम 10 प्रतिशत होगी।

vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित मे तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं ।

vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदा दाता के नियंत्रण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढाया जा सकेगा।

23. वसूलिया : निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट–फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक संतोशजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है तो नियमानुसार वसूलीयां की जायेगी

24. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी एक या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

25. निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

i. भागीदारी फर्मो के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।

ii. एक मात्र स्वत्याधारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक

iii. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार से जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण ।

26. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही स्थित न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं ।

27. दर संविदा के अनुसार प्रतिनग/प्रति सैट/प्रति किलो व वितिय बिड में चाहे गये माप, संख्या आदि अनुसार की दर अंकित करें ताकि सामग्री आवश्यकतानुसार मंगवाई जा सकें ।

28. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार से संबंधि माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

29. अधिकतम मदों में न्यूनतम दरदाता को नेगोशियेशन हेतु प्राथमिकता दी जा सकती है । जिसका निर्णय माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया जायेगा ।

30. उक्त निविदा हेतु प्री बिड मीटिंग का आयोजन माननीय कुलसचिव महोदय के कक्ष में दिनांक .... को किया जायेगा। निविदादाता/फर्म उक्त दिनांक को व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां समिति

Scanned with CamScanner

के समक्ष रख सकती हैं। प्री बिड मीटिंग के आयोजन के पश्चात अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/आक्षेपों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक–"अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेशण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विशयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विशयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक.................दिनांक......................के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोशणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षो में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निश्काषित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : ....

तारीख : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक "रा"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलपति महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............सयुंक्त शासन सचिव उच्च शिक्षा जयपुर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिश्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पश्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिश्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोशणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहां वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्रीध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विरूध कोई अपील नहीं होगा ।
   अर्थात:
   क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग. यह विनियक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण
   ङ. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।
4. **अपील का प्ररूप.**– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

89

Scanned with CamScanner

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. अपील फाइल करने के लिए फीस.–

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट यां बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

85

Scanned with CamScanner

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....
(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष
1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :..
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :..
(iii) आवासिक पता :..
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
(i)
(ii)
(iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :
6. अपील का आधार :
....
....
....
.... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : ....
....
....

स्थान : ....
तारीख : ....
अपीलार्थी के हस्ताक्षर

85 [illegible]

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्ते

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय
त्रुटियो का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जव तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया
जायेगा ।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा , और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मांमले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार यां अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विशयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। .

3. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.–** सामान्य नियम के रूप में उपापन की विशयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विशयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विशयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित

Scanned with CamScanner

किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील

Scanned with CamScanner

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :
....
....

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--------------------------------------

Name :--

In the capacity of :---------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ---------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर

Item No	Name of Articles	Spaciflcation	Unit	Rate included all taxes & /GST(FOR Store MGSU)
1	रबड़ बैंड (नॉयलोन)	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति पैकेट 400 ग्राम	
2	जग प्लास्टिक	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति नग	
3	प्लास्टिक बाल्टी	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति नग	
4	डस्टबिन प्लास्टिक 50 लीटर	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
5	डस्टबिन प्लास्टिक 80 लीटर	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
6	पेडल डस्टबीन	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति नग	
7	डस्टबिन साधारण बिना ढक्कन	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति नग	
8	बर्तन धोने की साबुन	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति नग	
9	मोस्क्टिो कीलर मशीन रिफिल सहित	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
10	एसी रिमोर्ट सेल	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
11	पेन्सिल सैल	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
12	सूती कपडा सफेद	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
13	टावल सफेद फुल साइज	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
14	नेपकीन सफेद	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
15	प्लास्टिक बैग सीलने की मशीन के धागे की रीलें	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
16	रूम स्प्रे	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
17	सेल्फ इंकिग मोहर हस्ताक्षर की (स्टेण्डर्ड साइज)	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
18	सेल्फ इंकिग मोहर प्रतिलाईन (स्टेण्डर्ड साइज)	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति लाईन	
19	गोल रबड मोहर विश्वविद्यालय के नाम एवं लोगो सहित (स्टेण्डर्ड साइज)	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
20	गोल रबड मोहर हस्ताक्षर एवं विश्वविद्यालय के नाम सहित (स्टेण्डर्ड साइज)	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
21	गोल रबड मोहर(एलफाबेट) एक वर्ग इंच की प्रत्येक	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	

Scanned with CamScanner

22	रबड़ मोहर सेन्टर कोड नं एक वर्ग इंच की प्रति नग	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
23	साधरण रबड मोहर हस्ताक्षर की प्रति नग(स्टेण्डर्ड साइज)	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
24	साधरण रबड मोहर प्रति लाईन (स्टेण्डर्ड साइज)	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति लाईन	
25	पीतल की ब्रास सील आधा इंच व्यास पीतल हैंडिल	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
26	दीवार घड़ी	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
27	ताले बडे	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
28	ताले छोटे	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
29	सूआ 6 ईंच हैंण्डल लकडी	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
30	Garden rubber Pipe 100 Feet Roll 0.5 Inch	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति रोल	
31	Garden rubber Pipe 100 Feet Roll 1.0 Inch	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति रोल	
32	पर्दा धुलाई	पर्दा उतरायी व लगवायी सहित (धुलाई की दरें प्रस्तुत करे)	प्रति नग धुलाई दर	
33	टॉवल धुलाई	टॉवल उतरायी व लगवायी सहित (धुलाई की दरें प्रस्तुत करे)	प्रति नग धुलाई दर	
34	T.R. Binding work	T.R.Binding कार्य में आने वाली समस्त सामग्री जैसे कागज, लिफाफे, गत्ता, कैंची, कपडा, कवर, गोंद, लही आदि निविदादाता की ही हेागी। उक्त कार्य विश्वविद्यालय मे ही कार्यालय समय मे संपादित करना हेागा ।	दर प्रति टी.आर बाईडिंग (आकार ए–3 साइज और अधिक)	
35	Mask use and Through	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति नग	
36	cup (बोन–चाइना)	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति नग	
37	कांच के गिलास मिडियम	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति नग	
38	Tea Tray	नमूना प्रस्तुत करे	प्रति नग	

Scanned with CamScanner

39	साफा उपलब्ध करवाना एवं साफे के आकार को बनाये रखने के लिये काम में आने वाली बॉल अन्य सामग्री निविदादाता की ही होगी । समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा आदेशित करने पर साफे के साथ साफे बांधने वाले व्यक्ति को भी उपलब्ध करवाना होगा ।	साफे का नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
40	शॉल	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
41	Coster (Medium) With Stand	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
42	मोमेन्टों	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
43	कैम्पर प्लास्टिक 15 ltr	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
44	कैम्पर प्लास्टिक 10 ltr	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
45	इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन प्लेट (चार प्लग थ्री–पिन युक्त)	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
46	साधारण बूके	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
47	वीआईपी बूके	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग	
48	गेंदे के फूलों की माला	Standard Size	प्रति नग	
49	मोगरे के फूलों की माला	Standard Size	प्रति नग	
50	गुलाब के फूलों की माला	Standard Size	प्रति नग	
51	विश्वविद्यालय में अलमीरा / टेबल / कम्प्यूटर टेबल के ड्रावर के नये ताले लगवाना उक्त कार्य निविदादाता को अपने स्तर पर ही करवाना होगा .इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज नही देगा	कार्य कार्यालय समय में ही करना होगा ।	प्रति नग	
52	स्टील / लकडी / लोहे कुर्सी की कैनींग करना	दरें पीठ एवं बेक की कैनिंग सहित प्रस्तुत करें । उक्त कैनिग के कार्य में कुर्सी को लाने व ले जाने का खर्च निविदादाता को ही वहन करना होगा । जिसके लिये विश्वविद्यालय कोई अतिरिक्त चार्ज देय नही होगा ।	प्रति नग	

Scanned with CamScanner

53	प्लास्टिक वूवन बैग छोटा साइज	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग
54	प्लास्टिक वूवन बैग मिडियम साइज	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग
55	प्लास्टिक वूवन बैग बडा साइज	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग
56	मस्क्टिों रैकेट	नमूना प्रस्तुत करें	प्रति नग

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Scanned with CamScanner